

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज</p> <p>..... बनाम <u>लगा 37</u> <u>धरापट्टे</u> मु.नं.- 273/21 किस्म - <u>दावा</u></p>	<p>पान अंक की हुए</p>
	<p>लगा 37 के ललवाना सम्मन पेश नहीं दिये। ललवाना सम्मन पेश करने हेतु प्रत्यक्ष पाहा / न्यायदित से कंटेनर अक्सर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते तलनी उत्तिपाडी नं. 03, 04, 07 लगा 10, 12 लगा 15, 17 लगा 20, 22 लगा 37 दिनांक 10.2.26 को पेश है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी <u>मण्डावर (दौसा)</u></p> <p>10-2-26 अतिभाषनी द्वारा न्यायिक कार्य का स्थागन रखा गया है जिससे न्यायिक कार्य नहीं ही सका। पत्रावली प्रवाउसार दिनांक 12.2.26 को पेश है।</p> <p>12.2.26 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अस्थित। वकील वादी द्वारा उत्तिपाडी नं. 03, 04, 07 लगा 10, 12 लगा 15, 17 लगा 20, 22 लगा 37 के ललवाना सम्मन पेश करने के बाद इनकी तामील जरिये स्पीड पोस्ट डाक रखी है पेश नहीं की और निर्देशों को अपठेलना की। इससे स्पष्ट है वादी पत्रावली में कोई भी कार्यवाही के लिए इच्छुक नहीं हैं इसलिए पत्रावली निर्देशों की अपठेलना में इतनी स्तर पर खारिज की जाती है एवं पत्रावली की कार्यवाही इतनी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली फलल शुमार होकर इतिहास इफाल है।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)